प्रकाशन लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

द्वितीय अपील क्रमांक 484/1994

राम भरोसा

बनाम

राधेश्याम एवं अन्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 23-04-2010 को

सूचीबद्ध करें।

सही/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश

द्वितीय **अपील क्रमांक 484/1994**

अपीलार्थी राम भरोसा

बनाम

प्रत्यर्थीगण राधेश्याम एवं अन्य

श्री लोकेश सिंह, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री अरुण शुक्ला, प्रत्यर्थी क्र. 1 की ओर से अधिवक्ता।

सुश्री संगीता मिश्रा, राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय **अपील**

निर्णय

(दिनांक 23 अप्रैल, 2010)

वर्तमान द्वितीय अपील, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अंतर्गत, अपीलार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित कर दोनों विचारण एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी क्र. 1/वादी के वाद —जो ग्राम चिराईगोड़ी, तहसील बालोद, जिला दुर्ग स्थित वादग्रस्त भूमि जिसका खसरा क्रमांक 131/7, रकबा 1.13 एकड़ से

संबंधित है, के स्वामित्व की घोषणा, कब्जा तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था, डिक्रीत की गई थी।

(2) वादी ने यह वाद अन्य बातों के साथ – साथ इस आधार पर दायर किया कि उसने दिनांक 18-04-1974 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से वाद भूमि क्रय की थी और 1974 और 1975 तक वाद भूमि उसके कब्जे में था; किन्तु जुलाई 1976 में प्रत्यर्थी क्र. 1/ अपीलार्थी ने वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया। वादी के अनुसार, प्रत्यर्थी क्र. 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में बना रहा क्योंकि राजस्व न्यायालय ने उसके नामंतरण के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उक्त विक्रय विलेख वास्तव में एक बंधक विलेख है।वाद में आगे यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त विक्रय विलेख के द्वारा स्वामित्व वादी के पक्ष में स्थानांतरित हो चुका है,अतः वर्तमान वाद दायर किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने यह तर्क प्रस्तुत करते हुए वाद का विरोध किया कि वादी एक व्यवसायी है और साहूकारी में लगा हुआ है। प्रत्यर्थी ने कभी कोई विक्रय-विलेख निष्पादित नहीं किया, क्योंकि विक्रय-विलेख में उल्लिखित प्रतिफल की राशि ₹2000/- है, जबकि विक्रय-विलेख तैयार करने की तिथि पर भूमि का मूल्य ₹10,000/- से कम नहीं था। उसके अनुसार, उसने वादी

से ₹1500/- का ऋण लिया था और विक्रय-विलेख ऋण संव्यवहार की प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया था, क्योंकि उसे पैसे की सख्त आवश्यकता थी और उसके पास नाममात्र का विक्रय-विलेख निष्पादित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह असहाय था और वादी ने गवाहों के सामने सहमति व्यक्त की थी कि जब ऋण राशि वापस चुका दी जाएगी तो विक्रय-विलेख वापस कर दिया जाएगा और उसे निरस्त माना जाएगा। उसने यह भी कहा कि प्रत्यर्थी एक गरीब व्यक्ति है, जो ***मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम, 1976*** (अधिनियम क्रमांक 3 सन् 1977) के तहत परिभाषित कृषि भूमि धारक है और इस प्रकार, यह वाद अधिनियम की धारा 9 के तहत वर्जित संव्यवहार होने के कारण बाधित है। यह कहा गया था कि सिविल न्यायालय को अधिनियम, 1976 के तहत सक्षम प्राधिकारी को मामले का निर्णय करने का निर्देश देना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 17-12-1993 द्वारा यह निष्कर्ष करते हुए वाद डिक्रीत कर दिया कि वाद पोषणीय है और विचाराधीन संव्यवहार ऋण संबंधी संव्यवहार नहीं है।

(5) प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि की है और अपीलार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है।

(6) तत्कालिक द्वितीय अपील को निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्न तैयार करके स्वीकार किया गया है: -

"(1) क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सिविल न्यायालय के पास प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए विवाद में प्रवेश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि पक्षों के बीच हुआ संव्यवहार मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के भूमिधारकों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक वर्जित संव्यवहार था?

(2) क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सिविल न्यायालय के लिए कार्यवाही को तब तक स्थगित करना आवश्यक था जब तक कि यह विवाद, कि पक्षों के बीच का संव्यवहार ऋण का एक वर्जित संव्यवहार था, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अधिनिर्णित नहीं हो जाता, या सिविल न्यायालय मामले में आगे बढ़ सकता था जब प्रत्यर्थी ने यह दलील उठाने के बावजूद कि यह ऋण का एक वर्जित संव्यवहार था, सक्षम न्यायाधिकरण के समक्ष मामले को नहीं उठाया?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) चूंकि दोनों प्रश्न आपस में जुड़े हुए हैं, उनका उत्तर इस निर्णय में एक साथ दिया जा रहा है। यह स्वीकार किया जाता है कि विचाराधीन विक्रय-विलेख के आधार पर राजस्व अभिलेख में अपना नाम नामांतरण करने के लिए वादी का आवेदन तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 28-02-1981 (प्रदर्श पी/7) के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था। यह आदेश अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, बालोद के समक्ष नामांतरण की कार्यवाही को रोकने के लिए दिए गए आवेदन पर पारित किया गया था। इस कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी ने गणेशराम, सहदेव और टीकमलाल नामक गवाहों की परीक्षण कराया। जिन्होंने अपीलार्थी के मामले का समर्थन किया कि उसने वादी से ₹1500/- का ऋण लिया था और वादी ने उसे आश्वासन दिया था कि जब ऋण राशि वापस चुका दी जाएगी तो विक्रय-विलेख निरस्त कर दिया जाएगा। तहसीलदार ने यह स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि क्रेता/वादी द्वारा पर्याप्त लंबी अवधि तक नामांतरण के लिए आवेदन न करने का तथ्य, साथ ही गवाहों के बयान के आधार पर यह पाया गया कि विक्रय-विलेख ऋण संव्यवहार की प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया था। तहसीलदार द्वारा वादी राधे श्याम को सक्षम न्यायालय से मामले का निपटारा कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद वादी ने वर्तमान वाद दायर किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) अधिनियम क्रमांक 3 सन् 1977 यानी 1976 के अधिनियम को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अधिनियमित किया गया है: -

"कमजोर वर्गों में कृषि भूमि धारकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें साहूकारों द्वारा उन्हें ऋण देने के दौरान और बाद में अपनाई जाने वाली भूमि हड़पने की योजनाओं को निरस्त करके कृषि ऋणग्रस्तता से और अनुतोष प्रदान करने के लिए, और उससे जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम।

जबकि कमजोर वर्गों में कृषि भूमि धारक अक्सर अपनी विभिन्न अत्यावश्यक प्रकृति की दायित्वों को पूरा करने के लिए निजी साहूकारी एजेंसियों से ऋण लेने के लिए विवश होते हैं:

और चूंकि ऐसी निजी एजेंसियां शायद ही कभी, यदि कभी, अपनी एकमात्र संपत्ति, अर्थात् भूमि की प्रतिभूति के बिना उसे ऋण देती हैं:

और चूंकि कानून की बारीकियों से अनभिज्ञता या वित्तीय आवश्यकता की तात्कालिकता या दोनों के कारण, वह उनके लिए एक आसान शिकार बन जाता है, उसे शायद ही कभी उन कानूनी परिणामों का एहसास होता है जो उन दस्तावेजों से उत्पन्न होते हैं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिन्हें वह निष्पादित करता है या जिन्हें वे उससे ऋण की प्रतिभूति के रूप में निष्पादित करवाते हैं;

और चूंकि ऐसे पिछले ऋण संव्यवहार को निरस्त करके और साथ ही ऐसे संव्यवहार को रोकने के लिए लोगों के कमजोर वर्गों में कृषि भूमि धारकों को ऐसे शोषण से अनुतोष देना आवश्यक है।

अतः इसे भारत गणराज्य के सतांईसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया जाता है, निम्नानुसारः -

जैसा कि मध्य प्रदेश 29 सन् 1988 द्वारा संशोधित किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 2 "कृषि भूमि धारक" को परिभाषित करती है और धारा 2 (च) "ऋण का वर्जित संव्यवहार" को परिभाषित करती है। धारा 3 यह प्रावधान करती है कि अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों पर प्रभावी होंगे, जबकि धारा 4 यह प्रावधान करती है कि ऋण के सभी वर्जित संव्यवहार इस अधिनियम के तहत अनुतोष के संरक्षण के अधीन होंगे। धारा 5 इस अधिनियम के तहत संरक्षण और अनुतोष के लिए आवेदन के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 6 अनुविभागीय अधिकारी को जांच करने के लिए अधिकृत करती है और धारा 7 उक्त अधिकारी को बिक्री को रद्द करने और

भूमि का कब्ज़ा बहाल करने या अन्य अनुतोष प्रदान करने के लिए सशक्त करती है। अधिनियम की धारा 8 के तहत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 9 अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अंतिम रूप देती है या अपीलीय न्यायालय के आदेश को, जैसा भी मामला हो। धारा 11 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत विषय वस्तु से संबंधित किसी भी न्यायालय में लंबित कार्यवाही का निर्णय इस अधिनियम के अनुसार किया जाएगा। धारा 14 सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है और धारा 15 यह घोषित करती है कि जिस भूमि का हस्तांतरण ऋण के वर्जित संव्यवहार का विषय है, वह अकृत और शून्य होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) चूंकि इस न्यायालय को ऋण के एक वर्जित संव्यवहार के संबंध में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की जांच करने की आवश्यकता है, इसलिए त्वरित संदर्भ के लिए धारा 3, 4, 5, 9, 11 और 14 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> ***"3. अधिनियम का अन्य कानूनों पर प्रभावी होना :*** *इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधान, किसी अन्य कानून में, जो इस समय लागू है, या किसी ऐसे लिखत में, जो ऐसे किसी कानून या किसी रीति-*

रिवाज, उपयोग या समझौते या न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के डिक्री या आदेश के आधार पर प्रभावी हो, असंगत किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होंगे।

4. ऋण के सभी वर्जित संव्यवहार इस अधिनियम के तहत संरक्षण और अनुतोष के अधीन होंगे: *यह घोषित किया जाता है कि किसी वर्जित ऋण संव्यवहार से संबंधित सभी दावे, जो नियत दिन पर विद्यमान हैं या उसके बाद लेकिन इस अधिनियम के राजविलेख में प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले किए गए हैं, संहिता या इस समय लागू किसी अन्य अधिनियमन में या किसी न्यायालय या प्राधिकरण के किसी डिक्री या आदेश में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण और अनुतोष के अधीन होंगे।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इस अधिनियम के तहत संरक्षण और अनुतोष की मांग हेतु आवेदन.- *कृषि भूमि का धारक, जो नियत दिन पर विद्यमान या उसके बाद किए गए किसी ऋण संव्यवहार का पक्षकार है, इस अधिनियम के तहत संरक्षण और अनुतोष के लिए अनुविभागीय*

अधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रारूप और तरीके से आवेदन कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया जाए।

9. आदेश की अंतिमता: *इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के सिवाय, अपील में कलेक्टर द्वारा या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, यदि कोई अपील दायर नहीं की जाती है, तो अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में, अधिकरण या प्राधिकरण में अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से या किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. लंबित कार्यवाही का निर्णय इस अधिनियम के अनुसार किया जाएगा *.- किसी न्यायालय में लंबित कोई भी कार्यवाही, जो ऐसी भूमि से संबंधित है जो इस अधिनियम के तहत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच का विषय हो सकती है, इस अधिनियम के राजविलेख में प्रकाशन पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा तय की जाएगी, भले ही इस समय लागू किसी भी कानून में इसके विपरीत कुछ भी निहित हो।*

14. सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का वर्णन: *धारा 11 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी सिविल न्यायालय के पास ऐसे किसी भी प्रश्न को निपटाने, निर्णय करने या उससे निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत अनुविभागीय अधिकारी या कलेक्टर द्वारा निपटाने, निर्णय करने या उससे निपटने की आवश्यकता है।*

(10) अधिनियम की योजना के एक सामान्य पठन और समझ से यह स्पष्ट होगा कि नियत दिन यानी 1 जनवरी, 1971, जैसा कि अधिनियम 1976 की धारा 2 (ए) में परिभाषित है, को या उसके बाद, ऋण के सभी प्रतिस्थापित वर्जित संव्यवहार इसकी धारा 4 के आधार पर अधिनियम के तहत संरक्षण और अनुतोष के अधीन होंगे। ***इमरत और अन्य बनाम लंजुआ और अन्य, एआईआर 1991 एमपी 135*** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम ने "ऋण के वर्जित संव्यवहार" शब्द को परिभाषित करके साहूकार द्वारा ऋण के संव्यवहार के संबंध में "सार्वजनिक नीति" घोषित की है। इसमें यह माना गया है कि विधानमंडल ने ऐसे संव्यवहार को भी प्रतिबंधित कर दिया है और इसलिए ऐसे अनुबंध संविदा अधिनियम की धारा 23 के तहत लागू करने योग्य नहीं होंगे। यह भी देखा जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 3 के आधार पर, अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोई भी नियम, किसी अन्य विधि में, जो इस समय लागू है, या किसी ऐसे लिखत में, जो ऐसे किसी विधि या किसी रीति-रिवाज, उपयोग या समझौते या न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के डिक्री या आदेश के आधार पर प्रभावी हो, असंगत किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होंगे। ऋण के वर्जित संव्यवहार की जांच करने का अनन्य अधिकार क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी. को धारा 6 के तहत प्रदान किया गया है, जिसके पास बिक्री को रद्द करने, कब्ज़ा बहाली का आदेश देने या कृषि भूमि के धारक को कोई अन्य अनुतोष देने का भी अधिकार है। धारा 9 ऐसे आदेश को अंतिम रूप प्रदान करती है, हालांकि वह धारा 8 के तहत अपील में पारित किसी भी आदेश के अधीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अधिनियम की धारा 11 यह उपबंध करती है कि अधिनियम के लागू होने की तिथि से पहले किसी भी न्यायालय में लंबित सभी प्रकरणों का निर्णय इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अर्थात् यदि कोई मामला सिविल न्यायालय में लंबित है और उसमें विवाद "प्रतिबंधित ऋण संव्यवहार" से संबंधित है, तो ऐसी कार्यवाही का निर्णय सिविल न्यायालय नहीं करेगा, बल्कि यह अधिनियम के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अधिनियम की धारा 14 सिविल न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र पर पूर्ण निषेध लगाती है, और यह घोषित करती है कि सिविल न्यायालय को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी ऐसे विषय का निपटारा करे, जिसका

निर्णय अनुविभागीय अधिकारी या कलेक्टर द्वारा किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान मामले में, संबंधित संव्यवहार अर्थात् विक्रय विलेख, पक्षकारों के बीच दिनांक 18-04-1984 को निष्पादित हुआ था, अर्थात् नियत दिन (1 जनवरी 1977) के बाद। वाद भी दिनांक 17-07-1984 को अर्थात् नियत दिन के पश्चात दायर किया गया था। इसके अतिरिक्त, तहसीलदार ने नामांतरण कार्यवाही (प्रदर्श पी. /1) में यह प्राथमिक निष्कर्ष दर्ज किया था कि संबंधित संव्यवहार एक **"**प्रतिबंधित ऋण संव्यवहार**"** है। विचारण न्यायालय ने यह विवाधक विचरित किया कि क्या यह वाद अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वर्जित है। अपीलार्थी/भूमिधारक ने स्वयं को प्रतिरक्षा साक्षी (ब.सा.-1) के रूप में तथा अपने गवाह गणेशराम (ब.सा.-2) और टीकाराम (ब.सा.-3) के रूप में प्रस्तुत किया। सभी ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि अपीलार्थी ने वादी से ऋण लिया था। इस स्थिति में, वाद स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रतिबंधित है, क्योंकि जब यह आपत्ति की जाती है और यह विषय निर्धारित होता है कि संव्यवहार **"**प्रतिबंधित ऋण संव्यवहार**"** है, तो अधिनियम की धारा 14 के अनुसार सिविल न्यायालय को ऐसे प्रश्नों पर अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने से वंचित कर दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) ***ध्रुव ग्रीन फील्ड लिमिटेड बनाम हुकुम सिंह और अन्य, (2002) 6 एससीसी 416*** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है

कि यदि किसी विशेष अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है जो उसके तहत निर्दिष्ट मामलों से निपटने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता है, तो एक साधारण सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बाहर हो जाएगा और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो पहले के निर्णयों ***कमला मिल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, एआईआर 1965 एससी 1942 और राम स्वरूप बनाम शिखर चंद, एआईआर 1966 एससी 893*** पर विश्वास करते हुए निर्धारित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ***ने हीरा लाल पाटनी बनाम श्री काली नाथ, एआईआर 1962 एससी 199*** में अभिनिर्धारित किया है कि यदि न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो यह अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाता है और यह अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी का मामला है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विधि और अधिनियम की धारा 14 में निहित वर्जन के आलोक मे, इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए विधिक प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर अपीलार्थी के पक्ष में सकारात्मक रूप में दिया जाता है और यह माना जाता है कि सिविल न्यायालय के पास वर्तमान वाद की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(14) द्वितीय विधिक प्रश्न के संबंध में, यह न्यायालय अभिमत व्यक्त करता है कि चूंकि अधिकार-क्षेत्र ही अधिनियम द्वारा निषिद्ध है,अतः कार्यवाही स्थगित करने या पक्षकारों को सक्षम प्राधिकारी के पास जाने का निर्देश देने का कोई प्रश्न नहीं उठता, और न ही यह उचित है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच किए जाने की अवधि तक सिविल वाद को लंबित रखा जाए। इस प्रकार की कार्यवाही का प्रावधान अधिनियम, 1976 की योजना में कहीं नहीं किया गया है। यद्यपि अधिनियम की धारा 11 यह उपबंध करती है कि अधिनियम के अधीन विषय से संबंधित कोई भी लंबित कार्यवाही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्णीत की जाएगी, किन्तु यह उस स्थिति पर कुछ नहीं कहती जब वाद अधिनियम लागू होने के पश्चात दायर किया गया हो। अधिनियम लागू होने के बाद दायर किए गए ऐसे वाद धारा 14 के अधीन स्पष्ट रूप से निषिद्ध हैं; अतः सिविल न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह वाद की कार्यवाही स्थगित करे और तब तक प्रतीक्षा करे जब तक अनुविभागीय अधिकारी उस मामले पर निर्णय नहीं ले लेते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) उपरोक्त विचारों के आलोक में, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है तथा विचारण एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी के समस्त वाद - व्यय वहन करेंगे।

(16) तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Amitesh Anand Rathore